

THE DTH IMBROGLIO

The DTH sector has had a fair share of bottlenecks in the course of the rollout of its services in India.

ISSUES RAISED BY DTH OPERATORS IN INDIA

The 'DTH Guidelines' prescribed a license fee of 10% of the Gross Revenue before the DTH Amendments 2020. Accordingly, till March 2021, the DTH operators were required to pay an annual license fee of an amount equivalent to 10% of GR without making any deductions. However, it has been seen that the DTH operators have been making some or the other deductions under different income heads and arriving at a figure called "License fee payable GR" and paid 10% of that "License fee payable GR".

After the amendment was notified on 30th December 2020 which came into effect from 1st April 2021, the licensees are required to pay license fee quarterly as 8% of AGR (April 2021 onwards) to MIB. TRAI has examined the Form-D29 submitted by the operators to MIB for the last five years. The analysis revealed that the DTH operators are deducting taxes and some of the income heads from GR to arrive at "Net revenue on which License Fee is computed".

From the Form-D29, it has been seen that the DTH operators have been carrying out the deductions differently as per their own understanding and business model without following any common accounting principle. Some of the various heads of income being deducted are "Content cost charges paid to broadcasters", "Installation charges", "Miscellaneous income", "Interest/dividend", "Rent received", "Others", "Activation Revenue", "Commission to distributors & dealers", "Broadcasting fees paid to various channel providers", "Sales of CPEs & accessories", "Teleport services", "a part of DTH subscription income", "Lease rentals", "Other operating income", "Interest from investments", "Liabilities written back" and the taxes paid on various income heads.

It has been learnt recently that MIB has requested

डीटीएच की उलझन

भारत में अपनी सेवाओं के रोलआउट के दौरान डीटीएच क्षेत्र में बाधाओं का एक अच्छा हिस्सा रहा है।

भारत में डीटीएच ऑपरेटर द्वारा उठाये गये मुद्दे

'डीटीएच दिशानिर्देश' ने डीटीएच संशोधन 2020 से पहले सकल राजस्व का 10% लाइसेंस शुल्क निर्धारित किया था। तदनुसार, मार्च 2021 तक, डीटीएच ऑपरेटरों को बिना जीआर में किसी तरह की कटौती के 10% के बराबर राशि का वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता थी। हालांकि यह देखा गया है कि डीटीएच ऑपरेटर विभिन्न आय मदों के तहत कुछ या अन्य कटौती कर रहे हैं और 'लाइसेंस शुल्क देय जीआर' नामक एक आंकड़े पर पहुंच रहे हैं और उस 'लाइसेंस शुल्क देय जीआर' का 10% भुगतान किया गया है।

30 दिसंबर 2020 को संशोधन अधिसूचित होने के बाद जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ, लाइसेंसधारियों को एमआईवी को एजीआर (अप्रैल 2021 के बाद) के 8% के रूप में तिमाही लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। ट्राई ने पिछले पांच वर्षों में ऑपरेटरों द्वारा एमआईवी को जमा किये गये फॉर्म-डी 29 की जांच की है। विश्लेषण से पता चला कि डीटीएच ऑपरेटर 'शुद्ध राजस्व

जिस पर लाइसेंस शुल्क की गणना की जाती है' पर पहुंचने के लिए जीआर से करों और कुछ आय मदों में कटौती कर रहे हैं।

फॉर्म-डी 29 से यह देखा गया है कि डीटीएच ऑपरेटर बिना किसी सामान्य लेखा सिद्धांत का पालन किये अपनी समझ और बिजनेस मॉडल के अनुसार अलग-अलग तरीके से कटौतियां कर रहे हैं। कटौती की जा रही आय के विभिन्न मदों में से कुछ हैं 'प्रसारक को भुगतान की गयी सामग्री लागत शुल्क', 'स्थापना शुल्क', 'विविध आय', 'व्याज/लाभांश', 'प्राप्त किराया', 'अन्य', 'एक्टिवेशन राजस्व', 'वितरकों व डीलरों को कमीशन', 'विभिन्न चैनल प्रदाताओं को भुगतान किया गया प्रसारण शुल्क', 'सीपीई और एक्सेसरीज की बिक्री', 'टेलीपोर्ट सेवायें', 'डीटीएच सदस्यता आय का एक हिस्सा', 'लीज किराया', 'अन्य परिचालन आय', 'निवेश से व्याज', 'वापस लिखी गयी देनदारियां' और विभिन्न अन्य शीर्षकों पर भुगतान किये गये कर।

हालही में यह पता चला है कि एमआईवी ने भारत के नियंत्रक



Telecom Regulatory Authority of India
(IS/ISO 9001-2008 Certified Organisation)

Comptroller and Auditor General (CAG) of India to conduct an audit of the DTH service providers on payment of the license fee and the discrepancies arising in the revenue calculations.

LITIGATIONS BY DTH OPERATORS

The issue of computation of license fee and the constitutional validity of 'DTH Guidelines', has been heard in various courts of India and pending since 2009. The DTH operators have been challenging the correctness and computation of the license fee levied by the Union of India. A petition was filed by one of the DTH operators (Sun Direct) before Telecom Disputes Settlement & Appellate Tribunal (TDSAT) against Union of India vide petition No. 92 (C) of 2009. This petition is regarding the determination of gross revenue for the purpose of the license fee payable by the Company as per the terms of its License agreement entered into with MIB. The year-wise sequence of events since then has been briefly mentioned in the Table 1.

The said transfer petitions have been allowed by the Supreme Court (SC) on 23.09.2019 and the matters have been numbered as:

TC (C) No. 70/2019 titled as "M/s Sun Direct TV Pvt Ltd v Union of India"

TC (C) No. 71/2019 titled as "Dish TV India Ltd v Union of India" (earlier Videocon D2H Limited v Union of India)

TC (C) No. 72/2019 titled as "Bharti Telemedia Pvt Ltd v Union of India & Ors"

The matter is currently pending in the Supreme Court. From the information available on the website of the Hon'ble SC, it is seen that the above-mentioned cases were last heard on 08th December 2022. The Hon'ble Supreme Court has permitted the Respondents to file counter affidavit within four weeks. The above-mentioned cases are pending for final hearing.

The details of the Writ petitions filed at various High Courts and the contentions raised are as follows:

- a. **WP(C) No. 38271 of 2015** titled as "M/s Bharti Telemedia Pvt. Ltd. Vs Union of India & Ors" filed before the Hon'ble Kerala High Court at **Ernakulam**: The dispute in the matter is with regard

व महालेखा परीक्षक (सीएजी) से लाइसेंस शुल्क के भुगतान और राजस्व गणना में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों पर डीटीएच सेवा प्रदाताओं का ऑडिट कराने का अनुरोध किया है।

डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा मुकदमेबाजी

लाइसेंस शुल्क की गणना और 'डीटीएच दिशानिर्देशों' की संवैधानिक वैधता का मुद्दा भारत की विभिन्न अदालतों में सुना गया है और 2009 से लंबित है। डीटीएच ऑपरेटर भारत संघ द्वारा लगाये गये लाइसेंस शुल्क की शुद्धता और गणना का चुनौती दे रहे हैं। 2009 की याचिका संख्या 92 (सी) द्वारा भारत संघ के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसेट) के समक्ष डीटीएच ऑपरेटरों में से एक (सन डायरेक्ट) द्वारा याचिका दायर की गयी थी। यह याचिका एमआईवी के साथ किये गये इसके लाइसेंस समझौते की शर्तों के अनुसार कंपनी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से सकल राजस्व के निर्धारण के संबंध में है। तब से अब तक की घटनाओं का वर्षवार क्रम टेबल 2.5 में संक्षेप में वर्णित किया गया है।

उक्त स्थानांतरण याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय (एससी) द्वारा 23.09.2019 को अनुमति दी गयी है और मामलों को इस प्रकार क्रमित किया गया है:

टीसी (सी) नंबर 70/2019 का शीर्षक 'मेसर्स सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत

संघ'

टीसी (सी) नंबर 71/2019 का शीर्षक 'डिश टीवी इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ' है (पहले वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड बनाम भारत संघ)

टीसी (सी) नंबर 72/2019 का शीर्षक 'भारती टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ व अन्य

मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि उपरोक्त मामलों की अंतिम सुनवाई 08 दिसंबर 2022 को हुई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी है। उपरोक्त मामले अंतरिम सुनवाई के लिए लंबित हैं।

विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं और उठाये गये तर्कों का विवरण इस प्रकार है:

- ए. 2015 की डब्लूपी (सी) संख्या 38271 'मेसर्स भारती टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य' के रूप में **एर्नाकुलम** में माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गयी। इस मामले में विवाद कथित रूप से भारतीय



Table 1: Sequence of events in the court matters

S. No.	Date	Event
1.	24.04.2009	Sun Direct filed petition against Union of India (UoI) before TDSAT.
2.	28.05.2010	TDSAT allowed the petition and provided for payment of license fee on AGR basis with certain exclusion of non-licensed activities.
3.	17.09.2014	UoI filed an appeal in Hon'ble Supreme Court of India against TDSAT decision. The Hon'ble SC disposed of the appeal filed by the UoI by referring the matter back to the TDSAT for fresh adjudication.
4.	19.10.2015	Sun Direct filed Writ Petition before Hon'ble HC of Kerala assailing the clause 3.1.1 of the licensing agreement.
5.	20.10.2015	The HC of Kerala at Ernakulam passed an interim order allowing the prayer of petitioner in WP(C) No. 31856 of 2015 titled M/s Sun Direct TV (P) Ltd vs UoI.
6.	29.10.2015	Another similar WP(C) No. 33021/2015 was filed by Videocon D2h at HC of Kerala at Ernakulam.
7.	29.10.2015	The HC of Kerala at Ernakulam in WP(C) No. 33021 of 2015 titled M/s Videocon d2h Ltd. vs. UoI and others passed interim order allowing the prayer of the petitioner to continue to pay the license fee as they have been paying since the date of grant of license and not to take any coercive steps against the petitioner.
8.	16.12.2015	Another similar WP (C) No. 38271/2015 titled as M/s Bharti Telemedia Pvt. Ltd. vs UoI has been filed before the High Court (HC) of Kerala at Ernakulam.
9.	17.12.2015	The HC of Kerala in WP(C) No. 38271 of 2015 titled M/s Bharti Telemedia Pvt Ltd. vs. UoI and others passed interim order for three months allowing the prayer of the petitioner to continue to pay the license fee as they have been paying since the date of grant of license and not to take any coercive steps against the petitioner.
10.	18.02.2016	The HC of Kerala in WP(C) No. 38271 of 2015 titled M/s Bharti Telemedia Pvt Ltd. vs. Union of India and others extended interim order until further orders allowing the prayer of the petitioner to continue to pay the license fee as they have been paying since the date of grant of license and not to take any coercive steps against the petitioner.
11.	11.01.2018	Hon'ble TDSAT on 11.01.2018 ordered that the hearing of broadcasting petitions of DTH operators is adjourned sine die and be resumed on mentioning by either of the parties after the validity of relevant articles and other related issues decided by the High Courts.
12.	05.03.2018	M/s Tata Sky Ltd. (now Tata Play Ltd.) has filed a Transfer Petition (Civil) No. 463-466/2018 before Hon'ble SC seeking transfer of all above-mentioned cases to Hon'ble HC of Delhi.
13.	09.03.2018	Hon'ble SC of India has disposed of the Transfer Petition with a direction to Union of India, to file reply in the writ petition within the next two months and also requested the concerned High Courts to decide the cases as far as possible within six months.
14.	30.10.2018	Counter Affidavit filed by MIB in all the pending Writ Petitions but no progress has been made.
15.	04.07.2019	MIB filed the Transfer Petition in Hon'ble SC of India.

to the power of Licensor (MIB) allegedly for bringing the revenue earned from non-licensed activities for the purpose of charging license fee under Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885. The petitioner has alleged that powers of Union of India (MIB) for charging license fee under Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 is limited only to revenue earned from licensed activities and has sought the relief to set aside clause 3.1.1 to the License Agreement as it is ultra-vires, Section 4 of the India Telegraph Act.

- b. **WP(C) No. 33021 of 2015 tilted as “Videocon D2H Limited Vs Union of India & Ors” filed before the Hon’ble Kerala High Court at Ernakulam:** The issue involved in the present matter is similar to the WP(C) No. 38271 of 2015 tilted as “M/s Bharti Telemedia Pvt. Ltd. Vs Union of India & Ors” filed before the Hon’ble Kerala High Court at Ernakulam. The petitioner has, inter alia, challenged the clauses 3.1, 3.1.1 & 3.1.2 read with Form-D of the ‘DTH Guidelines’ as allegedly the same requires the petitioner licensee to pay licensee fee on revenue generated from the activities other than the licenses activities.
- c. **WP(C) No. 31856 of 2015 tilted as “Sun Direct TV Private Limited Vs Union of India & Ors” filed before the Hon’ble Kerala High Court at Ernakulam:** Vide the Writ Petition, the petitioner has prayed that the payment of license fee should be levied only on the licensed activities, and that MIB should not take any coercive steps till the disposal of Writ Petition. In this WP, Tata Sky has also filed an Impleadment Application (IA) via IA No. 13416 of 2018.
- d. **OWP No. 1502 of 2015 titled as “Dish TV India Ltd Vs Ministry of Information and Broadcasting, Government of India & Others” filed before the Hon’ble High Court of Jammu & Kashmir at Jammu:** The issue involved in the present matter is similar to the WP(C) No. 38271 of 2015 tilted as “M/s Bharti Telemedia Pvt. Ltd Vs Union of India & Ors” filed before the Hon’ble Kerala High Court at Ernakulam. The petitioner has, inter alia, challenged the clause 3.1/3.1.1 of the DTH license as allegedly these are illegal to the extent that it includes revenue generated from non-licensed activities and pass-through expenses.

टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस शुल्क लेने के उद्देश्य से गैर लाइसेंस गतिविधियों से अर्जित राजस्व लाने के लिए लाइसेंस (एमआईवी) की शक्ति को लेकर है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत लाइसेंस शुल्क लेने के लिए भारत संघ (एमआईवी) की शक्तियां केवल लाइसेंस गतिविधियों से अर्जित राजस्व तक सीमित हैं और उसने लाइसेंस समझौते के खंड 3.1.1 को अलग करते हुए राहत की मांग की है, क्योंकि यह भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकारतीत है।

- बी. **एर्नाकुलम में माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर 2015 की डब्लूपी (सी) संख्या 33021 ‘वीडियोकॉन डी2एच लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य’ के रूप में दर्ज है:** वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा 2015 के डब्लूपी (सी) नंबर 38271 के समान है, जिसे एर्नाकुलम में माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर ‘मिसर्स भारती टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य’ के रूप में दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, ‘डीटीएच दिशानिर्देशों’ के फॉर्म डी के साथ पठित खंड 3.1, 3.1.1 और 3.1.2 को चुनौती दी है, क्योंकि कथित रूप से याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी को लाइसेंस गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है।
- सी. **2015 की डब्लूपी (सी) संख्या 31856 ‘सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य’ के रूप में एर्नाकुलम में माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गयी:** रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान केवल लाइसेंस प्राप्त गतिविधियों पर ही लगाया जाना चाहिए और एमआईवी को रिट याचिका के निपटान तक कोई कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए। इस डब्लूपी में, टाटा स्काई ने 2018 के आईए नंबर 13416 के माध्यम से एक इंप्लीडमेंट एप्लिकेशन (आईए) भी दायर किया है।
- डी. **2015 का ओडब्लूपी संख्या 1502 जिसका शीर्षक ‘डिश टीवी इंडिया लिमिटेड बनाम सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार व अन्य’ है, जम्मू में माननीय जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया:** वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा 2015 के डब्लूपी (सी) नंबर 38271 के समान है, जो एर्नाकुलम में माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष दायर ‘मिसर्स टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य’ के रूप में दायर है। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ डीटीएच लाइसेंस खंड 3.1/3.1.1 को चुनौती दी है क्योंकि कथित तौर पर ये इस हद तक अवैध हैं कि इसमें गैर लाइसेंस गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व व पास-थ्रू-खर्च शामिल है।

- e. **TP (C) No. 2305-2308 of 2019 filed by Ministry of Information and Broadcasting before the Hon'ble Supreme Court of India:** Transfer Petition TP(C) No. 2305-2308 of 2019 filed by MIB for the transfer of the matters pending before the Hon'ble High Court of Kerala to the Hon'ble Supreme Court of India was allowed by the Hon'ble Supreme Court.

CHANGES BROUGHT IN BY AMENDED REGULATORY FRAMEWORK OF 2017

The digitization of TV distribution services began in 2011 with the Cable Television Networks (Regulation) Amendment Act. The countrywide deployment of digital addressable system (DAS) got completed in March 2017. In view of anticipated completion of DAS implementation, TRAI undertook a comprehensive review of the regulatory framework of the entire sector in 2016. After extensive consultation process, on 3rd March 2017, the Authority notified:

- The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 (the "Tariff Order");
- The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (the "Interconnection Regulations");
- The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (the "QoS Regulations").

These combined constitute the new regulatory framework for the Broadcasting and Cable sector. The framework however came into effect on 29th December 2018 after satisfying legal pronouncement. The new regime seeks to ensure transparency, non-discrimination, non-exclusivity for all stakeholders in the value chain. Certain amendments were also carried out in the framework on 1st January 2020 and 22nd November 2022.

One of the hallmarks of the new framework is that it provides for greater transparency at every level of the value chain. The new regulations have brought in a level playing field between all DPOs, be it cable operators or DTH

- ई. **भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दायर 2019 की टीपी (सी) संख्या 2305-2308:** केरल के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए एमआईबी द्वारा दायर 2019 की स्थानांतरण याचिका टीपी (सी) संख्या 2305-2308 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गयी है।

2017 के संशोधित नियामक ढांचे द्वारा लाये गये परिवर्तन

टीवी वितरण सेवाओं का डिजिटलीकरण 2011 में केवल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम के साथ शुरू हुआ। डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) की देशव्यापी तैनाती 2017 में पूरी हुई।

डीएएस कार्यान्वयन की अनुमानित पूर्णता को देखते हुए, ट्राई ने 2016 में पूरे क्षेत्र के नियामक ढांचे की व्यापक समीक्षा की। व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद 3 मार्च 2017 को प्राधिकरण ने अधिसूचित किया:

- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें (आठवां) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ आदेश, 2017 (टैरिफ ऑर्डर)
- दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवायें इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (इंटरकनेक्शन विनियम)
- सेवा के गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानक, विनियम, 2017 (क्यूओएस विनियम)।

ये संयुक्त रूप से प्रसारण और केबल क्षेत्र के लिए नये नियामक ढांचे का गठन करते हैं। हालांकि कानूनी घोषणा को संतुष्ट करने के बाद 29 दिसंबर 2018 को ढांचा लागू हुआ। नया शासन मूल्य श्रृंखला में सभी हितधारकों के लिए पारदर्शिता, गैर भेदभाव, गैर विशिष्टता सुनिश्चित करना चाहता है। 1 जनवरी 2020 और 22 नवंबर 2022 को ढांचे में कुछ संशोधन भी किये गये।

नये ढांचे की एक विशेषता यह है कि यह मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर अधिक पारदर्शिता प्रदान करता है। नये विनियमों ने सभी डीपीओ के बीच समान अवसर लाये हैं, चाहे वह केबल ऑपरेटर हों या डीटीएच ऑपरेटर, ग्राहक द्वारा चैनल चयन की पूरी प्रक्रिया और ऑपरेटरों



operators, making the entire process of channel selection by the customer and the interconnection agreements between the operators and broadcasters completely transparent.

Presently, the agreements of the broadcasters and the DTH operators are based on Reference Interconnection Offer (RIO) of the broadcasters and DTH operator as distributor. RIO is a document published by a service provider specifying terms and conditions on which the other service provider may seek interconnection with such service provider.


The current regulatory regime has in-built checks and balances to ensure transparency in their operations. It prescribes the parameters of the Conditional Access System (CAS) and the Subscriber Management System (SMS) required to be maintained by the distribution platform operators. The subscriber number of each of the channels is derived from the SMS and is reported to the broadcasters by the distributors. The broadcasters have the right to audit the SMS and CAS of the distributors to check the veracity

और प्रसारकों के बीच इंटरकनेक्शन समझौतों को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया है।

वर्तमान में, प्रसारकों और डीटीएच ऑपरेटरों के समझौते प्रसारकों के रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर (आरआईओ) और वितरक के रूप में डीटीएच ऑपरेटर पर आधारित है। आरआईओ एक सेवा प्रदाता द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज है जिसमें उन नियमों व शर्तों को निर्दिष्ट किया गया है जिन पर अन्य सेवा प्रदाता ऐसे सेवा प्रदाता के साथ इंटरकनेक्शन की मांग कर सकता है।

मौजूदा नियामक व्यवस्था में उनके संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित जांच व संतुलन है। यह कंडिशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) और सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) के पैरामीटर निर्धारित करता है जिसे वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा बनाये रखा जाना आवश्यक है। प्रत्येक चैनल की ग्राहक संख्या एसएमएस से प्राप्त होती है और वितरकों द्वारा प्रसारकों को इसकी सूचना दी जाती है। प्रसारकों को वितरकों द्वारा रिपोर्ट किये गये नंबरों की सत्यता की जांच करने के लिए वितरकों के एसएमएस व सीएएस का

Fig. 1: Provisioning of channels under new regulatory framework



of the numbers reported to them by the distributors. TRAI regulations also contain provisions on reporting of numbers related to subscriber base, channel/bouquet subscription etc.

TRAI has also prescribed standardized audit process of systems of DPOs by independent agencies and an Audit Manual has been released by TRAI on 08th November 2019. These measures may ensure that DPO can't now under-report subscribers or revenue.

This framework to a large extent has redrawn and altered the structure of value chain, in terms of transparency in provisioning of channels and the commercial relationships among the stakeholders. In the new framework, the broadcasters decide the MRP of their pay channels on a-la-carte basis for the subscribers. They also form bouquets of their pay channels and declare the MRP of such bouquets payable by a subscriber. DPOs in turn, offer these a-la-carte channels and bouquets formed by broadcasters either at broadcaster declared MRP or at some discount on MRP. Subscribers make their choice of channels or bouquets.

Distributors too can form bouquets from the bouquet of channels made by one or more broadcasters and/or a-la-carte channels and offer it to the subscribers. The distributors declare Distributor Retail Price (DRP) of DPO bouquets and a-la-carte channels. Such DRP has to be less than or equal to the MRP as per provisions of the framework. DPOs collect the subscription charges from the subscribers which include television channel price, cost of carriage in form of Network Capacity Fee (NCF) and applicable GST. DPOs charge NCF from subscribers for availing a distribution network capacity. Currently, the maximum ceiling for NCF is prescribed at Rs 130 for receiving 200 SD channels and Rs 160 for receiving more than 200 SD channels. The DPOs are also mandated to provide all the channels notified by Central Government to be mandatorily provided to all the subscribers, and all such channels shall be in addition to the number of channels which a subscriber is eligible to get for the NCF paid. Figure 1 depicts the provisioning of channels under the new regulatory framework.

It is pertinent to mention that distributors can also offer their own content, i.e., their own channels termed as platform services (PS) channels, exclusively available to its subscribers, however there is a limit prescribed, that such channels would be a maximum of 5% of its total channel carrying capacity of the distributor. The

ऑडिट करने का अधिकार है। ट्राई के नियमों में सब्सक्राइवर आधार, चैनल/बुके सब्सक्रिप्शन आदि से संबंधित नंबरों की रिपोर्टिंग पर भी प्रावधान है।

ट्राई ने स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा डीपीओ की प्रणालियों को मानकीकृत ऑडिट प्रक्रिया भी निर्धारित की है और ट्राई द्वारा 08 नवंबर 2019 को एक ऑडिट मैनुअल जारी किया गया है। ये उपाय यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि डीपीओ अब ग्राहकों या राजस्व को कम रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं।

चैनलों के प्रावधान में पारदर्शिता और हितधारकों के बीच व्यावसायिक संबंधों के मामले में इस ढांचे ने काफी हद तक मूल्य शृंखला की संरचना को फिर से तैयार किया और बदल दिया है। नये ढांचे में, प्रसारक ग्राहकों के लिए अ-लॉ-कार्टे आधार पर अपने पे चैनलों की एमआरपी तय करते हैं। वे अपने पे चैनलों के बुके भी बनाते हैं और सब्सक्राइवर द्वारा देय ऐसे बुके की एमआरपी भी घोषित करते हैं। बदले में डीपीओ प्रसारकों द्वारा घोषित एमआरपी पर या एमआरपी पर कुछ छूट पर प्रसारकों द्वारा बनाये गये इन अ-लॉ-कार्टे चैनलों और बुके की पेशकश करते हैं। सब्सक्राइवर अपनी पसंद के चैनल या बुके बनाते हैं।

वितरक भी एक या एक से अधिक प्रसारक और/या अ-लॉ-कार्टे चैनलों द्वारा बनाये गये चैनलों के बुके से बुके बना सकते हैं और इसे ग्राहकों को पेश कर सकते हैं। वितरक डीपीओ बुके और अ-लॉ-कार्टे चैनलों के वितरक गबुदरा मूल्य (डीआरपी) की घोषणा करते हैं। इस तरह के डीआरपी को ढांचे के प्रावधानों के अनुसार एमआरपी से कम या उसके बराबर होना चाहिए। डीपीओ ग्राहकों से सदस्यता शुल्क एकत्र करते हैं जिसमें टेलीविजन चैनल मूल्य, नेटवर्क क्षमता शुल्क (एनसीएफ) और लागू जीएसटी के रूप में दुलाई की लागत शामिल है। डीपीओ वितरण नेटवर्क क्षमता का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों से एनसीएफ चार्ज करते हैं। वर्तमान में एनसीएफ के लिए अधिकतम सीमा 200 एसडी चैनल प्राप्त करने के लिए 130 रुपये और 200 से अधिक एसडी चैनल प्राप्त करने के लिए 160 रुपये निर्धारित है। डीपीओ को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सभी चैनलों को सभी ग्राहकों को अनिवार्य रूप से प्रदान करने के लिए भी अनिवार्य किया गया है, और ऐसे सभी चैनल उन चैनलों की संख्या के अतिरिक्त होंगे जो एक ग्राहक भुगतान किये गये एनसीएफ के लिए पात्र हैं। चित्र 1 में नये नियामक ढांचे के तहत चैनलों के प्रावधान को दर्शाया गया है।

यह उल्लेख करना उचित है कि वितरक अपनी स्वयं की सामग्री की भी पेशकश कर सकते हैं, अर्थात्, अपने स्वयं के चैनल जिन्हें प्लेटफॉर्म सर्विसेज (पीएस) चैनल कहा जाता है, विशेष रूप से यह उनके ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, एक सीमा निर्धारित है, कि ऐसे चैनल वितरक की कुल चैनल वहन क्षमता का अधिकतम 5% होंगे। प्लेटफॉर्म

advertisement and the subscription revenue earned on the platform services channels entirely belongs to the DPOs.

MIB in its reference has requested TRAI to examine the issue of exclusion of non-licensed activities from the definition of Gross revenue in respect of DTH License fee as in case of recent amendments carried out by DoT and/or identify any other base for levy of the license fee and accordingly, to provide the format of Form-D in DTH sector as per GR/AGR criteria. However, the income heads that may be considered as exclusion and the mechanism to ensure that the revenue excluded reflect true value, without compromising the revenue streams that entail payment of license fee require examination. A sample Form-D' with possible income heads forming GR has been annexed for reference of stakeholders.

DIFFERENCE IN REVENUE COMPONENTS IN TELECOM & BROADCASTING SECTOR

The DTH operators are demanding to align the license fee and the definition of AGR to that of the UL Agreement of DoT. This demand is raised in view of the fact that the DTH licenses are also granted under section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 as in case of telecom licenses. Having said that, it is important to mention here that telecom and broadcasting services are not strictly comparable. In telecom, there is a "pass-through" component which altogether carries a different meaning. One set of telecom service licensees is being exempted to pay license fee on their pass-through component, and that pass-through amount becomes part of the AGR of another telecom service licensee and the license fee is paid thereon. In other words, pass through is allowed on such revenues which a licensee pay to other licensee, who in turn pays the license fee on those revenues. Say for instance, in the access service authorization, the revenue components treated as 'pass-through' include:

- ◆ the PSTN/PLMN/GMPCS related Call charges (Access Charges) actually paid to other eligible/entitled Telecommunication service providers within India;
- ◆ roaming revenues passed on to other eligible/entitled telecom service providers and;

These charges are, however, added to the revenue of that other telecom service provider, on which they are

सेवा चैनलों पर अर्जित विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन राजस्व पूरी तरह से डीपीओ के अंतर्गत आता है।

एमआईबी ने अपने रेफरेंस में ट्राई से डीटीएच लाइसेंस शुल्क के संबंध में सकल राजस्व की परिभाषा से गैर-लाइसेंस गतिविधियों को बाहर करने की मुद्दों की जांच करने का अनुरोध किया है, जैसाकि हालही में डॉट द्वारा किये गये संशोधनों के मामले में और/या लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए किसी अन्य आधार की पहचान करना और तदनुसार, जीआर/एजीआर मानदंड के अनुसार डीटीएच क्षेत्र में फॉर्म-डी का प्रारूप प्रदान करना। हालांकि, आय शीर्ष जिन्हें बहिष्करण के रूप में माना जा सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र कि लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक राजस्व धाराओं से समझौता किये बिना, राजस्व को बाहर रखा गया है, वास्तविक मूल्य को दर्शाता है। हितधारकों के संदर्भ के लिए जीआर बनाने वाले संभावित आय शीर्ष के साथ एक नमूना फॉर्म-डी संलग्न किया गया है।

दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र में राजस्व घटकों में अंतर

डीटीएच ऑपरेटर लाइसेंस शुल्क और एजीआर की परिभाषा को डॉट के यूएल समझौते के अनुरूप करने की मांग कर रहे हैं। यह मांग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उठायी गयी है कि टेलीकॉम लाइसेंस के मामले में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 4 के तहत डीटीएच लाइसेंस भी प्रदान किये जाते हैं। ऐसा कहने के बाद, यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि दूरसंचार और प्रसारण सेवायें कड़ाई से तुलनीय नहीं हैं। दूरसंचार में, एक 'पास-थ्रू' घटक होता है जो पूरी तरह से एक अलग अर्थ रखता है। दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों के एक सेट को उनके पास-थ्रू घटक पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जा रही है, और वह पास-थ्रू राशि दूसरे दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारी के एजीआर का हिस्सा बन जाती है और लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसे राजस्व पर पास-थ्रू की अनुमति है जो एक लाइसेंसधारी दूसरे लाइसेंसधारी को भुगतान करता है, जो बदले में उन राजस्व पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करता है। उदाहरण के लिए, एक्सेस सेवा प्राधिकरण में, 'पास-थ्रू' माने जाने वाले राजस्व घटकों में शामिल हैं:

- ◆ पीएस्टीएन/पीएलएमएन/जीएमपीसीएस से संबंधित कॉल शुल्क (एक्सेस शुल्क) वास्तव में भारत के भीतर अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भुगतान किया गया
- ◆ रोमिंग राजस्व अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिया गया और हालांकि,

ये शुल्क उस अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता के राजस्व में जोड़े जाते हैं जिस पर वे लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी

liable to pay license fee. This avoids the payment of double license fee on the same revenue.

The recommendations on 'Definition of Revenue Base (AGR) for the Reckoning of License Fee and Spectrum Usage Charges' were issued by TRAI on 6th January 2015. However, the AGR matter of telecom sector at that time was sub-judice. The Supreme Court (SC) in the Civil Appeal Nos. 63286399 of 2015 titled Union of India vs Association of Unified Telecom Service Providers of India (AUSPI) relating to Telecom side AGR matter delivered its judgement on 24th October 2019. In the said judgement, it was mainly held that:

- a) interest and dividend earned from the licensing and non-licensing activities, have to form part of gross revenue for determination of license fee.
- b) all discounts and commissions allowed on international roaming, and to distributors on sale of prepaid vouchers, trade discounts, subscribers' discounts, and volume rebates form part of gross revenue for the purpose of payment of license fee.
- c) the gains from foreign exchange fluctuations should be added without any net off against the losses, these should be on accrual basis and must be accounted for as it forms part of the gross revenue.
- d) on revenue from gains from sales of shares, every amount which is more than the book value of the current asset comes to licensee company, has to be considered for calculation of gross revenue without netting off.
- e) the amount of negative balance of prepaid customer is a part of revenue.
- f) an entry concerning nonrefundable deposits from subscribers has to be included in the statement of the gross revenue.
- g) the insurance claim over and above the book value is considered as revenue and not the value of the capital asset as there is an inflow of cash received and it has to form part of the gross revenue.

In the broadcasting sector, the matter of pass-through of content charges and other deductions being claimed by the DTH operators is sub-judice and the decision of the Supreme Court is awaited. ■

होते हैं। इससे एक ही राजस्व पर दोगुने लाइसेंस शुल्क के भुगतान से बचा जा सकता है।

ट्राई द्वारा 6 जनवरी 2015 को 'लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की गणना के लिए राजस्व आधार (एजीआर) की परिभाषा पर सिफारिशों की गयी थीं। हालांकि, उस समय दूरसंचार क्षेत्र का एजीआर मामला न्यायाधीन था। सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने 2015 की सिविल अपील संख्या 63286399 में भारत संघ बनाम एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) शीर्षक से टेलीकॉम पक्ष एजीआर मामले में 24 अक्टूबर 2019 को अपना फैसला सुनाया। उक्त निर्णय में, मुख्य रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

- ए) लाइसेंसिंग और गैर-लाइसेंसिंग गतिविधियों से अर्जित ब्याज और लाभांश को लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए सकल राजस्व का हिस्सा बनना होगा।
- बी) अंतरराष्ट्रीय रोमिंग पर और वितरकों को प्रीपेड वाउचरों की बिक्री पर, व्यापार छूट, ग्राहकों की छूट, और वॉल्यूम छूट की अनुमति दी गयी सभी छूट और कमीशन लाइसेंस शुल्क के भुगतान के उद्देश्य से सकल राजस्व का हिस्सा है।
- सी) विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव से होने वाले लाभ को नुकसान के खिलाफ बिना नेट ऑफ के जोड़ा जाना चाहिए, ये उपार्जन के आधार पर होना चाहिए और इसका लेखा-जोखा रखा जाना चाहिए क्योंकि यह सकल राजस्व का हिस्सा है।
- डी) शेयरों की बिक्री से प्राप्त राजस्व पर, प्रत्येक राशि जो लाइसेंसधारी कंपनी के वर्तमान परिसंपत्ति के बही मूल्य से अधिक है, को शुद्ध किये बिना सकल राजस्व की गणना के लिए विचार किया जाना है।
- ई) प्रीपेड ग्राहकों की नकारात्मक शेष राशि राजस्व का एक हिस्सा है।
- एफ) सकल राजस्व के विवरण में ग्राहकों से गैर वापसी योग्य जमा से संबंधित एक प्रविष्टि शामिल की जानी है।
- जी) बही मूल्य से अधिक के बीमा दावे को राजस्व के रूप में माना जाता है न कि पूंजीगत संपत्ति के मूल्य के रूप में प्राप्त नकदी का प्रवाह होता है और इसे सल राजस्व का हिस्सा बनाना होता है।

प्रसारण क्षेत्र में, डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा दावा किये जा रहे सामग्री शुल्क और अन्य कटौतियों के पास-थू का मामला विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। ■